



सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-23.02.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री सुधाकर सिंह,
संवि०स०
श्रीमती वीणा सिंह,
संवि०स०
श्रीमती संगीता कुमारी,
संवि०स०
श्री विजय कुमार मंडल,
संवि०स०
श्री भरत बिन्द,
संवि०स०
श्री रakesh कुमार रौशन,
संवि०स०
श्री आनन्द शंकर सिंह,
संवि०स०

“कैमूर जिला में किसानों का धान अभी सहकारिता तक मात्र 65 प्रतिशत ही सरकार द्वारा क्रय किया गया है। सरकार का धान खरीद लक्ष्य से बहुत कम है। बहुत से ऑनलाईन रजिस्टर्ड (इच्छुक) किसानों का धान अभी तक नहीं खरीदा गया है, जबकि धान क्रय करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में किसान बिचौलियों के पास अपना धान बेचने को मजबूर हैं।

अतः किसानों का धान क्रय करने की अवधि 15 मार्च तक बढ़ाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।”

2. श्री संजय सरावगी,
संवि०स०
श्री विनोद नारायण झा,
संवि०स०
श्री हरीभूषण ठाकुर "बचेल",
संवि०स०
श्री राम चन्द्र प्रसाद,
संवि०स०
श्री मिश्री लाल यादव,
संवि०स०
श्री बीरेन्द्र कुमार,
संवि०स० ट४
श्री अरूण शंकर प्रसाद,
संवि०स०

"देश की प्राचीन एवं समृद्ध भाषाओं में शिक्षा मैथिली शामिल है। बिहार एवं देश में रह रहे 5 करोड़ से ऊपर लोगों की मातृभाषा मैथिली है। जिसे वर्ष-2003 में संविधान के अष्टम् अनुसूची में शामिल किया गया। संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में यह भाषा एक विषय के रूप में शामिल है। मैथिली भाषा की अपनी लिपि "मिथिलाक्षर" है। कवि विद्यापति समेत अनेक विद्वानों ने इस लिपि में ग्रंथों की रचना की है। वर्तमान में यह लिपि चलंत में शिक्षण एवं लेखन का माध्यम नहीं है। इनके संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता है।

अतः "मिथिलाक्षर" लिपि लेखन एवं शिक्षण का माध्यम बने इसके लिए "मिथिलाक्षर" लिपि का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।"

राज कुमार सिंह
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-02/2021- 567 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 फरवरी, 2021 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सहकारिता विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-02/2021- 567 / वि०स०, पटना, दिनांक- 22 फरवरी, 2021 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

22/2/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।
22/2/21